23-9-25

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम पटवारी हल्का श्रीमाधोपुर

किस्म मुकदमा – प्राप्त प्रचलित रास्ता धारा 131, 132 एल.आर.एक्ट मुकदमा नम्बर 128/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर	[illegible]
23.09.2025	राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में दिनांक 24 जून 2025 से 09 जुलाई 2025 तक "पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा" का आयोजन किया गया था। जिसके अन्तर्गत राजस्व विभाग से संबधित सम्पादित किये जाने वाले कुल 10 गतिविधियों / कार्यो में से कमांक 6 पर "रास्तों के प्रकरणों का निस्तारण" का कार्य श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, राजस्व (ग्रुप–5) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र पत्रांक प0 04(3) राज–5 / सम / 2024 जयपुर दिनांक 18.06.2025 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में विभिन्न ग्राम पंचायतों में खातेदारी कृषि भूमियों में कदीमी रूप से चले आ रहे प्रचलित रास्ते (जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रहे हैं) को राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता के रूप में दर्ज कराने हेतु भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा सम्बन्धित ग्राम पचांयतों से प्रस्ताव लिये जाकर शिविर के दौरान मौके पर प्रचलित रास्तों के प्रस्ताव तैयार करवाये गये थे। जिनको तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र कमांक 2172 / भू0अ0 / 2025 दिनांक 17.07.2025 एंव पुनः पत्र कमांक 2602 / भू.अ. / 2025 दिनांक 18.09.2025 के द्वारा तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर पटवार हल्का श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 2111 रकबा 0.74 हैक्टर में से 0.0420 हैक्टर भूमि मे से जा रहे प्रचलित रास्ता ग्राम श्रीमाधोपुर – रींगस सड़क से कुआं मोठू की ढाणी से जोडता है तथा उक्त प्रचलित रास्ता [illegible] संचालित हो रहा है। उक्त प्रचलित रास्ते का अंकन राज[illegible] अभिले[illegible] में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अतर्गत धारा [illegible] 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, गुगल मेप, फर्द मौका रिपोर्ट जिस पर कुछ खातेदारान के सहमति बतौर हस्ताक्षरित संबंधित खातेदारान में से, फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का श्रीमाधोपुर संलग्न है। जिसे तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी अभिशंषा रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को प्रेषित किया	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.09.29 12:59:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम पटवारी हल्का श्रीमाधोपुर

मु.नं.- 128/2025

तारीख हुक्म	प्रारूप हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	अनुसार है। प्राप्त प्रकरण में अंकित भूमि खसरा नम्बर 2111 नगरपालिका क्षेत्र श्रीमाधोपुर में स्थित होने से प्राप्त प्रस्ताव पर अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीमाधोपुर से जरिये पत्रांक 3366 / रीडर / 2025 दिनांक 16.09.2025 के द्वारा प्रस्ताव पर आपत्ति या अनापत्ति के सम्बन्ध में स्पष्ट रिपोर्ट ली गई। जिस पर अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 1493 / न.पा.श्रीमा. / 2024–25 दिनांक 16.09.2025 के द्वारा अवगत कराया कि नगरपालिका के मास्टर प्लान एंव मौका रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत स्थल पर 30 फीट चौडा रास्ता स्थित है एंव नगरपालिका के मास्टर प्लान में प्रश्नगत स्थल का भू उपयोग आवासीय दर्शित किये जाने से उक्त स्थल का नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किये जाने में नगरपालिका श्रीमाधोपुर को कोई आपत्ति नही होना अंकित किया है। जिस पर विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से प्रकरण को न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया।
	इसी परिपेक्ष्य में पूर्व में श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) जयपुर राजस्थान सरकार का परिपत्र कमांक प.3 (2) राज–6 / 2003 / पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के द्वारा भी गांवों में कदीमी रूप से चालू होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चले आ रहे प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता दर्ज किये जाने तथा रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमियों की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में सम्बन्धित खातेदारान् के ही नाम जमाबन्दी में रखे जाने बाबत राज्य सरकार द्वारा परिपत्र जारी किया गया है। उक्त जारी परिपत्र की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रचलित रास्ते के प्रस्ताव व प्रस्ताव के संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अ[illegible] जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त प्रस्तावित [illegible] के मौके पर कदीमी रूप से चालू होकर [illegible] आने, प्रस्तावित प्रचलित रास्ता ग्राम श्रीमाधोपुर – रींगस सडक [illegible] कुआं मोटू की ढाणी से जोडता है तथा उक्त प्रचलित रास्ता मौके पर चालू होकर सुचारू रूप से संचालित होना प्रकट होता है। उक्त प्रचलित रास्ता जो मौके पर चालू होकर रास्ते के सार्वजनिक आवागमन के उपयोग में आने से एवं

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.09.29 12:59:54 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम पटवारी हल्का श्रीमाधोपुर
ग्रा.न.

मु.नं. 178/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अनुशंषा के मध्यनजर प्रार्थना पत्र न्यायहित मे स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अत तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के तहत भिजवाये गये प्रस्ताव को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निम्नानुसार दिये जाते है :–

राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर पटवार हल्का श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमि खसरा नम्बर 2111 रकबा 0.74 हैक्टर में से 0.0420 हैक्टर भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी कृषि भूमि में से तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किया जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्णय प्रति एंव संलग्न नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि उक्त खसरा नम्बरान् की कृषि भूमियों बावत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज की जावें एंव नक्शें में उक्तानुसार तरमीम की जावें। गैर मुमकीन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान् के खातें ही रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश के भाग रहेगें। उक्त प्रचलित रास्ता में अंकित खसरा नम्बरान् पर यदि किसी अपीलीय/अपर/सिविल/राजस्व मण्डल इत्यादि किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं हो तो राजस्व रिकार्ड में पालना किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

3480/रीडर
25-9-25

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.09.29 12:59:54 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)